संख्या-14/2015/वे0आ0-2-268/दस-2015-8(मु0स0स0)/2011 टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
सचिवालय प्रशासन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 07 अप्रैल, 2015

विषय:- उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा संवर्ग में सचिव ग्रेड वेतन रू0 10000/- के 11 पद, विशेष सचिव ग्रेड वेतन रू0 8900/- के 18 पद एवं संयुक्त सचिव ग्रेड वेतन रू0 8700/- के 08 पदों के सृजन से सम्बन्धित प्रकरण पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा संवर्ग में सचिव ग्रेड वेतन रू0 10000/- के 11 पद, विशेष सचिव ग्रेड वेतन रू0 8900/- के 18 पद एवं संयुक्त सचिव ग्रेड वेतन रू0 8700/- के 08 पदों के सृजन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति की दिनांक 18 मार्च, 2015 को सम्पन्न हुई बैठक में विचार किया गया और सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :--

" उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा में संयुक्त सचिव वेतन बैण्ड-4 रू0 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन रू0 8700/- के 16 पद तथा विशेष सचिव वेतन बैण्ड-4 रू0 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रू0 8900/- के 10 पदों का सृजन इस प्रतिबन्ध के अधीन किया जाय कि आगामी पॉच वर्षों के उपरान्त ही उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारी से उच्च स्तर के पदों में अभिवृद्धि के किसी प्रस्ताव पर विचार किये जाने का अवसर बनेगा।"

2- मुख्य सचिव समिति की बैठक का कार्यवृत्त तथा लिये गये निर्णय से सम्बन्धित पत्रावली के उद्धरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भेजते हुए आपसे अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में जारी होने वाले शासनादेश की एक प्रति यथासमय वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 को अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-14/2015/वे0आ0-2-268/दस-2015-8(मु0स0स0)/2011 टी0सी0,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in